



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-24

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254695 दिनांक 25/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Sanjay Sharma S/o Om Prakash Sharma एवं Sangeeta Sharma W/o Surendra B. Sharma एवं SANYUKTA GAUTAM W/o ANIL GAUTAM	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री कल्याण शर्मा	101	212.33 SQ. YARD	Cooperative	NIRMAN NAGAR A-B Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	रजिस्ट्रार-झोटवाडा जोन जयपुर द्वारा दिनांक 23.05.2024 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री ओमप्रकाश शर्मा की मृत्यु दिनांक 19.03.2024 एवं उप-रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु पंजीयन नगर निगम जयपुर द्वारा दिनांक 06.01.2025 को जारी मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार श्री ओमप्रकाश शर्मा की मृत्यु दिनांक 27.12.2024 को हो चुकी है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Sanjay Sharma S/o Om Prakash Sharma एवं Sangeeta Sharma W/o Surendra B. Sharma एवं SANYUKTA GAUTAM W/o ANIL GAUTAM को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. ~~नोटिफिकेशन~~ पत्रावली।

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |